पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752–240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

//अधिसूचना//

बिलासपुर, दिनांक : 28 जून, 2024

क्र. 2816/स्था./प्रशा./2024 : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक संख्या 19/आपात/2024 दिनांक 25.06.2024 के प्रस्ताव क्रमांक 08 पर लिये गये निर्णय अनुसार छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर के पत्र क्र. एफ 3–54/स्था./2020/38–1 दिनांक 20.06.2024 के द्वारा लागू "अतिथि व्याख्याता नीति–2024" को पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के लिए अंगीकृत करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क्र. 2817 /स्था./प्रशा./2024 बिलासपुर, दिनांक 28/06/2024

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु।
4. निदेशक, CIQA को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु।
5. विभागाध्यक्ष .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वेल सेल को विश्वविद्यालय के वेब साईट में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
7. कार्यालय प्रति।

प्रभारी

स्थापना/प्रशासन

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

कोनी, बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट 1 अ

//अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन का प्रारुप//

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विषय शिक्षा, वाणिज्य, प्रबंधन, कम्प्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी, छत्तीसगढ़ी, समाजशास्त्र समाजकार्य, राजनीति शास्त्र, संस्कृत, गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 15/07/2024 तक आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन की हार्डकॉपी तथा समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ बुलावा होने पर संबंधित विभाग में उपस्थित होकर सत्यापन कराएंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीडा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरुप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमा :–अतिथि व्याख्याता अधिकतम 65 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. विषय/पदों का विवरण :–

क्रमांक	विषय	पद संख्या
1	शिक्षा	07
2	वाणिज्य	01
3	प्रबंधन	02
4	कम्प्यूटर विज्ञान	01
5	अंग्रेजी	01
6	हिन्दी	01
7	छत्तीसगढ़ी	01
8	समाजशास्त्र	01
9	समाजकार्य	01
10	राजनीति शास्त्र	03
11	संस्कृत	01
12	गणित	03
13	इतिहास	01
14	अर्थशास्त्र	01
योग		**25**

5. पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में वर्तमान में कार्यरत अतिथि शिक्षक पुनः कार्य करने के इच्छुक हो तो अनिवार्य रूप से आवेदन करें।

टीपः— संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना के फलस्वरुप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्ते :—

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल./पी—एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
02. दिनांक 15/07/2024 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा।
03. अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय में प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
04. प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा।
05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की भी आंमत्रित किया जाएगा।
06. अंतिम सूची का प्रकाशन किया जावेगा जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की वेबसाईट में किया जायेगा।
07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभारग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :—

क्रमांक	विवरण	अतिथि व्याख्याता
(अ) 40—45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये		
01	40—45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/—
02	चर काल खंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/— (41,600/—प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये		
03	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/—
04	चर काल खंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/— (50,600/—प्रतिमाह अधिकतम)

11. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता को विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक—सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक—सेवक नहीं कहलायेंगे।

12. विश्वविद्यालय में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही विभाग प्रमुख द्वारा की जावेगी।

13. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा विभाग प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

14. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ विभाग प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्तकार्य यथा प्रवेश, अध्ययन सामाग्री विकास/संशोधन, परीक्षा, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यकम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।

15. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर